17 24 31 21. Christmas Day 30.11.2020 25.12.2020

न्यायालय– पियूष भावे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महेश्वर, पश्चिम निमाड,

//सुचना पत्र//

केन्द्रीय शासन द्वारा कोविड–19 को राष्ट्रीय आपदा बताते हुए संपूर्ण भारतदेश में लॉकडाउन की अवधि दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक बढाई गयी है एवं माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा परिपत्र कमांक क्यू–13 दिनांकित 17.05.2020 जारी करते हुए म.प्र. राज्य के अधिन समस्त अधिनस्थ न्यायालय में इस अवधि दौरान अकार्य दिवस घोषित किया गया था एवं कालांतर में दिनांक 30.05.2020 को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर द्वारा सर्कुलर कमांक बी/1880 जारी करते हुए परिपत्र कमांक क्यू 13 को दिनांक 07.06.2020 तक के लिए निरंतर रखा गया है एवं तत्पश्चात् सर्कुलर कमांक ए/1214 दिनांक 05.06.2020 जारी करते हुए पूर्व में जारी किये गये परिपत्रो को दिनांक 13.06.2020 तक निरंतर रखा गया सर्कूलर क.ए/1382 जबलपुर दिनांक 12.06.2020 जारी करते हुए दिनांक 19.06.2020 तक पूर्व में प्रेषित सर्कूलर को निरंतर रखा गया था जिसे समय समय पर बढाया गया एवं तत्पश्चात् सी/2214 जबलपुर दिनांकित 12.09.2020 जारी करते हुए पूर्व में जारी किये गये सर्कुलर को दिनांक 18.09.20 तक निरंतर रखा गया अर्थात उक्त अवधि में भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अकार्य दिवस ही रहेगा एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा इस अवधि में निर्धारित प्रकरण आगामी तिथि निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः सभी पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण को सुचित किया जाता है कि इस न्यायालय में इस अवधि में अंतिम तर्क/अन्तरिम आवेदन पर तर्क जिनकी सूचना पृथक से प्रेषित की गयी है, को छोडकर दिनांक 14.09.2020 से दिनांक 18.09.2020 तक नियत प्रकरण की आगामी तिथि निम्नानुसार नियत की जा रही है :–

पेशी दिनांक	सिविल एवं आपराधिक प्रकरणो की आगामी तिथि
14.09.2020	07.10.2020
15.09.2020	08.10.2020
16.09.2020	09.10.2020
18.09.2020	10.10.2020

नोटः–1–इस न्यायालय में दिनांक 15.09.2020 एवं 18.09.2020 को कोई सिविल प्रकरण नियत नहीं है, केवल अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण नियत है।

2–विचाराधीन बंदियों के प्रकरण की पेशी दिनांक एवं अंतिम तर्क व अन्तरिम आवेदन पर तर्क संबंधी प्रकरणों की पेशी दिनांक पृथक से सूचित की जावेगी।

14.9.2020

{पियूष भावे}

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

(पियूष भावे)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 महेश्वर

के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश...

स्थान-महेश्वर

Scanned with CamScanner

न्यायालय– मयूरी गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 मण्डलेश्वर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश महेश्वर म.प्र.

आवश्यक–सूचना

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये दिनांक 14–09–2020 से दिनांक 18–09–2020 तक अकार्य दिवस घोषित किया गया है।

अतः उक्त अवधि मे इस न्यायालय मे सिविल एवं आपराधिक प्रकरण लंबित ना होने के कारण कोई भी तारीख नियत नही है।

14.9.2020

for प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2,
मण्डलेश्वर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, महेश्वर प.नि.

(मीनाक्षी दंदेलिया)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,मण्डलेश्वर
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश
स्थान-महेश्वर

न्यायालय– मीनाक्षी दंदेलिया,प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2,मण्डलेश्वर केन्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2,महेश्वर प.नि.

आवश्यक–सूचना

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये दिनांक 14–09–2020 से दिनांक 18–09–2020 तक अकार्य दिवस घोषित किया गया है।

अतः उक्त अवधि मे इस न्यायालय मे सिविल एवं आपराधिक प्रकरण लंबित ना होने के कारण कोई भी तारीख नियत नही है।

नोट– प्रकरण क्रमांक RCSA/52/ 2019 चन्द्रकांत विरूद्ध दयालुगुरू अर्जेन्ट प्रकृति का प्रकरण होने से पेशी दिनांक 16.09.2020 नियत है।

14.9.2020

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2,
मण्डलेश्वर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, महेश्वर प.नि